वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Telephone Connections Sanctioned from M.Ps. quota

*184. SHRI G. PRATHAPA REDDY :

DR. SHRIKANT RAM-CHANDRA JICHKAR :

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the number of persons from the year 1992 who have been sanctioned telephone connections from the annual quota of Members of Parliament on priority basis but have not yet been provided; and

(b) what are the reasons for the delay ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Proposal to take over Surat Airport from Gujarat Government

*185 SHRI VITHALBHAI M. PATEL: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state :

(a) whether the Central Government has received any proposal to take over the Surat Airport in Gujarat from the State Government; and

(b) if so, what action has been taken on this proposal and what is the likely time frame therefor ?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI GHULAM NABI AZAD) : (a) and (b) In January 1991, letters were received from the Government of Gujarat suggesting Surat airport to be taken over by the National Airports Authority (NAA) for upgradation. Due to paucity of resources of the NAA, it was decided that NAA would not be able to take over this airport. The State Government was informed of this on 20-6-1991.

शेयर बाजार की सदस्यता

186. **श्री मूलचन्द मीना :**
श्री मुहम्मद मसूद खान :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 28 फरवरी, 1993 की स्थिति के अनुसार देश में कितने शेयर बाजार कार्यरत हैं ;

(ख) शेयर बाजार के अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में क्या नीति है ;

(ग) क्या यह सच है कि एक परिवार के चार या पांच सदस्य एक ही शेयर बाजार के सदस्य बन सकते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या यह सच है कि राजस्थान शेयर बाजार में एक परिवार के कई सदस्यों को उस शेयर बाजार का सदस्य बनाया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) 28 फरवरी, 1993 की स्थिति के अनुसार देश में 21 स्टाक एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के अधीन मान्यताप्राप्त हैं ।

(ख) इस समय, जहां अधिकांश स्टाक एक्सचेंजों के अध्यक्षों को सरकार द्वारा उन एक्सचेंजों के नियमों/संस्था के अन्तर्नियमों के अनुसार नामित किया जाता है वहीं कुछेक स्टाक एक्सचेंजों के संबंध में शासी बोर्ड/सदस्यों की साधारण सभा द्वारा इनको चुना जाता है । हाल ही में सरकार ने भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) द्वारा एक्सचेंजों के नियमों/संस्था के अन्तर्नियमों में संशोधन करने का एक प्रस्ताव अनुमोदित किया है जिसमें यह व्यवस्था है कि किसी एक्सचेंज के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उस एक्सचेंज के शासी निकाय द्वारा चुने जायेंगे ।

(ग) और (घ) किसी मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज की सदस्यता के लिए अर्हताओं को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 8 में रखा गया है। इन नियमों में किसी एकल परिवार से उन सदस्यों की संख्या पर कोई प्रतिबंध विहित नहीं है जो किसी स्टाक एक्सचेंज के सदस्य बन सकते हों।

राजस्थान स्टाक एक्सचेंज ऐसा एक्सचेंज नहीं है जिसे कि प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की व्यवस्थाओं के तहत सरकार के द्वारा मान्यताप्राप्त हो।

Claims made to General Insurance Corporation following the Ayodhya incidents

*187. SHRI VIREN J. SHAH :
SHRI PROMOD MAHAJAN :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) what is the number and amount of claims received by the General Insurance Corporation during the recent riots following the post Ayodhya Riots in the country particularly in Bombay, Gujarat, Bhopal, Delhi and Kashmir Valley ?

(b) What is the extent of loss of Life and property, vehicles, shops and houses, etc. in each of the places mentioned above for which claims have been filed;

(c) What is amount of compensation paid so far and to be paid by the Insurance companies;

(d) what steps Government have taken so far for early payment of claims to the affected persons; and

(e) what are the details of instructions issued by Government for the early disposal of claims by the Insurance Companies ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED) : (a) to (e) On account of the recent riots following the Ayodhya incidents, 3904 claims have been reported to New India Assurance Company Ltd., United India Insurance Company Ltd.; Oriental Insurance Company Ltd. and National Insurance Company Ltd. from all over the country. These claims pertain to vehicles, loss of life and property, shops, houses, etc. The split-up between the various categories of claims is not available. These claims amounted to Rs. 79.56 crores. The majority of the claims pertain to Bombay and Gujarat where 1816 and 1196 claims were reported. Out of them, 524 and 184 claims are motor vehicle related claims in Bombay and Gujarat respectively. Out of claims amounting to Rs. 79.56 crores preferred by the claimants, claims amounting to Rs. 6.08 crores have already been settled. In order to expedite the settlement of claims, Insurance Companies have been requested to set up Special Task Forces and Coordination Committees. The process of settlement of claims is being closely monitored and supervised at the Ministry level. Comprehensive guidelines and detailed procedures have been evolved by the General Insurance Corporation of India to ensure the expeditious settlement of these claims.

प्रशासनिक व्यय में कटौती किया जाना

*188. **श्री महेन्द्र सिंह लाठर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले वर्ष सरकार ने प्रशासनिक व्यय में कटौती करने और अनेक प्रशासनिक पदों में कमी लाने का निर्णय किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य-वार मंत्रालय-वार ब्यौरा क्या है तथा वास्तव में किस सीमा तक उस निर्णय का अनुपालन किया जा सका है और यदि इस संबंध में की गई कार्यवाही में कोई शिथिलता आई है तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सरकारी व्यय पर नियंत्रण रखना एक सतत प्रक्रिया है। व्यय में किफायत बरतने अथवा फिजूल खर्ची से बचने के लिए किए जाने वाले विशेष उपायों के बारे में समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं। इस संबंध में सरकार द्वारा किए